

शासकीय महाप्रभु बल्लभाचार्य स्मृति कोत्तर महाविद्यालय



महासमुंद (छ ग)

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। रैगिंग में लिप्त होने पर

'प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम'

के अंतर्गत निम्नानुसार कड़े दण्ड का प्रावधान है :-



1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा / छात्रावास से निष्काषित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्ट्रिकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रु. 25,000/- तक।

प्रभारी, एंटी रैगिंग समिति

प्राचार्य

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध
है। रैगिंग में लिप्त होने पर
'प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम'
के अंतर्गत निम्नानुसार कड़े
दण्ड का प्रावधान है :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्काषित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रु 25,000/-तक।